(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1442–एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–6–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 188/अपील/2008–09.

पुरूषोत्तम पिता पूरीलाल महाजन
निवासी ग्राम सण्डावता
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

1– सत्तार खान पिता करीम खान
2– मांगीलाल पिता गोपीलाल
निवासीगण ग्राम सण्डावता
तहसील सांगरगपुर जिला राजगढ़ .....अनावेदकगण

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री रमेश सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/4/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा सण्डावता के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि जाने हेतु वह लगभग 35 वर्ष से आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 345/2 एवं 345/3 की मेड़ से रास्ते का उपयोग कर रहा था । उक्त रास्ते को आवेदक द्वारा बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा,

प्रकरण कमांक 6/अ–13/2004–05 दर्ज कर दिनांक 8–6–2007 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–2008 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–6–2011 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नवीन रास्ते का निर्माण नहीं किया जा सकता है तब अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की गई है क्योंकि प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की भूमि से 50 फीट पर रास्ता पाया गया है, और वह अनावेदकगण का ही रास्ता है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदकगण के पास वर्तमान में मार्ग उपलबध है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में अपर आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता होने एवं आवेदक द्वारा बन्द किया जाना पाया गया है, इसके बावजूद भी आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं तथ्यों के प्रावधानों की विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो बार स्थल निरीक्षण किया गया है, और दोनों बार भिन्न–भिन्न स्थितियां पाई गई हैं । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत उभय पक्ष सहित हितबद्ध पक्षकारों की साक्ष्य भी नहीं ली गई है, और उपरोक्त स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी आदेश पारित करने में ध्यान नहीं दिया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की साक्ष्य लेकर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2011 स्थिर रखा जाकर तहसील न्यायालय को दो माह के भीतर प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर